प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1990-91

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :

थमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

.RY & DOCUMENT... CENTRE
N...nal Institute of ...tional
...g and Administration.
... Aurobindo Marg,
... Delhi-110016
D - 8964
..., No.....
Date 9-1-96

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1990-91

Primary Education Department

During the year 1988-89,the School Education Department was re-organised and Primary Education Department was established separately. During the reporting period, 59 new Primary Schools were opened for girls. At present, 27 Pre-Primary/Balwaries and 5187 Primary Schools are functioning in the State. The total number of students studying at Pre-Primary and Primary stages was 2184 and 2062414 respectively. The percentage of school going students at Primary Stage in the age group of 6-11 was 112.90 for boys and 91.04 for girls. The percentage of scheduled caste boys and girls in the age group of 6-11 was 113.80 and 95.74 respectively. An amount of Rs. 9925.02 lakhs has been spent on Primary Education in the year 1990-91. An amount of Rs. 78. 78 lakhs was given as grant to Non-Govt. Primary Scoohls.

During the year 1990-91, Rs. 40.00 lakhs were spent to give free stationery to about 4 lakhs scheduled caste and weaker section students to encourage them for getting education. To encourage scheduled caste girl students, attendance prizes of Rs. 166.62 lakhs were given to 138850 girls. An amount of Rs. 102.50 lakhs was provided for providing free uniforms to 141425 girl students of scheduled castes and weaker sections. In order to encourage nomadic tribe students, attendance prizes of Rs. 29.63 lakhs were given to 15065 students. Under the operation Black

Board Scheme, in 1990-91, a sum of Rs. 80.73 lakhs was spent for providing essential facilities to 1497 primary schools and additional posts of 100 teachers were sanctioned for single teacher schools to provide them second post of teacher. Rs. 13.50 lakhs were spent on book bank for providing free text books to the students belonging to scheduled castes/backward classes/weaker sections.

During the reporting period, Shri Surender Singh Barwala was the Minister of State for Education, Shri A.N. Mathur I.A.S. worked as Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Education Department and Shri Chander Bhan worked as Director of Primary Education in the State.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. ....
Date........................

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1990–91 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 1988–89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग से स्थापित किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष में कन्याओं के लिए 59 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इस समय राज्य में 27 पूर्व प्रायमिक/बालवाडियां तथा 5187 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं । वर्ष 1990–91 में पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल छात्र संख्या क्रमशः 2184 तथा 2062414 थी । प्राथमिक स्तर पर 6-11 आयुवर्ग के विद्यालयों में पढने वाले छात्रों की प्रतिशतता 112.90 तथा छात्राओं की प्रतिशतता 91.04 थी । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 6-11 आयु वर्ष के लड़के और लड़कियों की प्रतिशतता क्रमशः 113.80 तथा 95.74 थी । वर्ष 1990–91 में प्राथमिक शिक्षा पर 9925.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 1990–91 में 78.78 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई ।

वर्ष 1990–91 में छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के 4 लाख छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री देने हेतू 40.00 लाख रुपये व्यय किये गये । इसी प्रकार हरिजन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 138850 छात्राओं को 166.62 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये । अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की 141425 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की राशि की मुफ्त वर्दी देने की व्यवस्था की गई। खानाबदोश जाति के छात्रों को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15065 छात्र/छात्राओं को 29.63 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये ।

वर्ष 1990–91 में आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत 1497 प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 80.73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा एक अध्यापकीय 100 विद्यालयों को एक-एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया गया ।

अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने के लिए बुक बैंकों पर 13.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला ने राज्य शिक्षा मंत्री, श्री ए0 एन0 माथुर, आई0ए0एस0 शिक्षा आयुक्त एवं सचिव तथा श्री चन्द्रभान ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के रूप में कार्य किया ।

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय—पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1990-91 में श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला ने राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला ।

सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव, के पद पर श्री ए0एन0 माथुर' आई0ए0एस0 रहे तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री महा सिंह आई0ए0एस0 ने कार्य किया ।

निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1988-89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया था और हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3/29/80-शिक्षा(2) दिनाँक 8-12-88 द्वारा प्राथमिक शिक्षा विभाग की अलग से स्थापना की गई थी । इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार का कार्य प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया था । तदानुसार मुख्यालय स्तर पर निदेशालय प्राथमिक शिक्षा और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना की गई । रिपोर्टाधीन अवधि में श्री चन्द्रभान, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रहे और निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक प्राथमिक शिक्षा को सहयोग दिया :—

क्र0 संख्या	पद	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	1
2.	सहायक निदेशक	3
3.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला स्तर पर

निदेशालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग किये जाने पर जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का कार्य अलग किया गया तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय बनाये गये। प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये। प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व इन प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले की प्राथमिक शिक्षा का विकास करते हैं और राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं।

खण्ड स्तर

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 124 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने जिले के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध उनके हैड टीचरज के माध्यम से चलाया जाता है। सभी टीचरज अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1990-91 में प्राथमिक शिक्षा पर 9925.02 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 9086.15 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 838.87 लाख रुपये व्यय हुए ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रुप से चलाने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है । अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे का 75 प्रतिशत तक अनुदान देती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 23.65 लाख रुपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रुप में दी गई । इसके अतिरिक्त कोठारी अनुदान के अन्तर्गत अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 55.13 लाख रुपये की राशि दी गई । इसके अतिरिक्त हरियाणा चाईल्ड वैलफेयर कौंसिल को 53000 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये ।

टाट पट्टी

वर्ष 1990-91 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में टाट पट्टी की व्यवस्था करने हेतु 27.50 लाख रुपये की लागत से 243447 मीटर टाट पट्टी खरीदने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा वर्ष 1991–92 के लिए भी इतनी ही राशि की व्यवस्था की गई है ।

अध्याय–दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों को दी जाती है। राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देखरेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

(क) कुल छात्र संख्या (राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय)

	लड़के	लड़कियाँ	कुल योग
राजकीय विद्यालय	1302	0750	2052
मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय	0029	0103	0132
कुल	1331	0853	2184

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

राजकीय	201	172	373
अराजकीय	—	—	—
कुल	201	172	373

अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाडियों में अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है

		पुरुष	महिलायें	जोड़
(क)	कुल अध्यापक			
	विद्यालय अनुसार	2	59	61
	स्तर अनुसार	4	84	88
(ख)	अनुसूचित जातियों के अध्यापक			
	विद्यालय अनुसार	—	4	4
	स्तर अनुसार	—	5	5

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। इसे देश के प्रत्येक बच्चें को उपलब्ध कराने के लिए इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99 प्रतिशत ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर-2 उपलब्ध हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

विद्यालयों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4130	811	4941
गैर सरकारी	228	18	246

वर्ष 1990-91 में 59 नये प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खोले गये तथा 182 शाखा विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय बनाया गया।

छात्र संख्या — कुल छात्र संख्या (स्तर कक्षा 1-5)

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या	1147145	915269	2062414
अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या	219711	182862	402573

6–11 आयु के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या	112.90	91.04	102.02
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	113.80	95.74	104.81

अध्यापकों की संख्या

	पुरुष	महिलायें	जोड़
(क) कुल अध्यापकों की संख्या (संस्था अनुसार)	12195	7328	19523
स्तर अनुसार (1–5)	20283	15418	35701
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
संस्था अनुसार	1050	162	1212
स्तर अनुसार	1692	292	1984

छात्रवृद्धि अभियान

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ रहे अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1990–91 में चार लाख छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 40.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढने वाली 138850 हरिजन छात्राओं को 166.62 लाख रुपये की राशि 10/- रुपये प्रति छात्रा प्रतिमास की दर से उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दी गई।

अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग की कक्षा 1–5 में पढने वाली 141425 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की लागत से मुफ्त वर्दियां दी गई। इस

स्कीम के अन्तर्गत पहली तथा दूसरी कक्षा में पढने वाली छात्राओं को 75/- रुपये की लागत से दो वर्दियां तथा तीसरी से पांचवी कक्षा की छात्राओं को 50/- रुपये की लागत से एक वर्दी देने की व्यवस्था है । 6–11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है । वर्ष 1990–91 में इस अभियान पर 5.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से 2.50 लाख रुपये आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार/प्रसार कराने के लिए खर्च किये गये और शेष राशि उन राजकीय विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहन के रूप में बांटी गई जिन्होंने अधिक से अधिक छात्र दाखिल किये थे ।

घुमन्तु जाति के 15063 बच्चों को 29.63 लाख रुपये उपस्थिति पुरस्कार के रुप में वितरित किये गये ।

शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं । अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना दिये जाये तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरी सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि के बच्चे हो उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा है।

पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली कक्षा तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाये तथा तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जायें ।

अध्याय—तीसरा

विविध

शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी। इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रतिमास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

एस0सी0ई0आर0टी0 के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक रूप से साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढ़ग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है। नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 में लागू की गई थी। इस योजना के अन्तंगत प्रथम चरण में 20 प्रतिशत सी0डी0 ब्लाक तथा शहरी क्षेत्रों में 959 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवर किये गये थे। वर्ष 1990–91 में इस योजना के अन्तर्गत और 30 प्रतिशत सी0डी0 ब्लाक/शहरी क्षेत्र के 1497 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवर किये गये। इस योजना का उद्देश्य राजकीय

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण तथा अध्यापन सामग्री उपलब्ध करवाना तथा एक अध्यापकीय विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त अध्यापक का पद देना है। वर्ष 1990–91 में फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें और खेल का सामान आदि उपलब्ध करने के लिए 80.73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इस योजना के अन्तर्गत एक अध्यापकीय विद्यालयों के लिए दूसरा अध्यापक देने हेतु 100 जे.बी.टी. अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत 3869 प्राथमिक विद्यालयों को 500/ रुपये प्रति विद्यालय की दर से आवश्यक साज समान इत्यादि के रख रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा 19.34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। इन बुक बैंकों द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के लिए तथा कक्षा दो से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्ष के लिए वापिसी आधार पर पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। वर्ष 1990–91 में बुक बैंकों पर13.50 लाख रुपये राशि खर्च की गई।

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। वर्ष 1990–91 में 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 500 रुपये प्रति विद्यालय की दर से सरकार द्वारा 5 लाख रुपय की राशि स्वीकृत की गई।

शैक्षिक तकनीकी अनुभाग

शिक्षा के गुणात्मक पक्ष में सुधार करने, विद्यालय स्तर पर होने वाले वेस्टेज को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षा विधियों को नई दिशा देने तथा सहायक शिक्षण सामग्री का

निर्माण एवं प्रयोग करने में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एस०सी०ई०आर०टी०गुड़गांव में पहले से ही स्थापित शैक्षिक तकनीकी अनुभाग को जारी रखा गया।

खेल एवं स्वास्थ्य

खेलों एवं स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1990-91 में 15.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

24884—D.P.I. (s)—H.G.P., Chd.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8964
Date 9-1-96